

## नविवारक नरिध

### प्रलिमिस् के लयि:

[सरवोच्च नयायालय, नविवारक नरिध, अनुच्छेद 22, उच्च नयायालय के नयायाधीश, दंडात्मक हरिसत, 'सार्वजनिक व्यवस्था', कानून और व्यवस्था, राम मनोहर लोहिया बनाम बहार राज्य मामले, 1965](#)

### मेन्स के लयि:

नविवारक नरिध और कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने में इसका महत्त्व ।

[स्रोत: द हट्टि](#)

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में [सरवोच्च नयायालय](#) ने माना है कि नविवारक नरिध कानूनों के तहत सलाहकार बोर्डों को सरकार के लयि केवल "रबर-स्टाम्पिंग प्राधिकारी" की तरह व्यवहार नहीं करना चाहयि ।

- उन्हें एक ऐसे सुरक्षा वाल्व के रूप में कार्य करना चाहयि जो राज्य द्वारा शक्ति के अनर्यंतरति उपयोग के साथ ही व्यक्तगित स्वतंत्रता के अधिकार के बीच खड़ा हो ।

## नविवारक नरिध क्या है?

### ■ पृष्ठभूमि:

- नविवारक नरिध को अधिकृत करने वाले कानून वर्ष 1818 से भारत में बरटिश औपनिवेशिक शासन में अस्तित्व में थे ।
- [प्रथम विश्व युद्ध](#) शुरू होने पर वर्ष 1915 का भारत रक्षा अधिनियम पारति कयिा गया था, और साथ ही [द्वितीय विश्व युद्ध](#) के दौरान बनाए गए आपातकालीन नयिमों के संबंध में भी इसे दोहराया गया था ।
  - दोनों में नविवारक नरिध के प्रावधान हैं, यानी किसी व्यक्तिको [वचिारण और दोषसदिधि](#) के बना हरिसत में रखना ।

### ■ परिचय:

- [नविवारक नरिध](#) का अर्थ है किसी व्यक्तिको नयायालय द्वारा वचिारण एवं दोषसदिधिके बना हरिसत में लेना । इसका उद्देश्य किसी व्यक्तिको [पूर्व अपराध के लयि दंडति करना नहीं](#) है बल्कि उसे निकट भवषिय में अपराध करने से रोकना है ।
- किसी व्यक्तिकी [हरिसत तीन महीने से अधिक नहीं](#) हो सकती जब तक कि सलाहकार बोर्ड वसितारति हरिसत हेतु पर्याप्त कारण के लयि रिपोर्ट जारी नहीं करता है ।
- [नविवारक नरिध के लयि आधार:](#)
  - राज्य की सुरक्षा
  - लोक व्यवस्था
  - वदिशी मामले, आदि ।

### ■ हरिसत के दो प्रकार:

- [नविवारक नरिध](#) तब होता है जब किसी व्यक्तिको केवल इस संदेह के आधार पर [पुलसि हरिसत](#) में रखा जाता है कयिे कोई आपराधिक कार्य कर सकते हैं या समाज को हाना पहुँचा सकते हैं ।
  - पुलसि के पास किसी भी व्यक्तिको पर अपराध करने का संदेह होने पर उसे हरिसत में लेने और कुछ मामलों में वारंट अथवा मजसिट्रेट की अनुमतिके बना गरिफ्तारी करने का भी अधिकार है ।
- [दंडात्मक हरिसत](#) जिसका अर्थ है किसी दाण्डिक अपराध के लयि सजा के रूप में हरिसत में रखना । यह तब होता है जब कोई अपराध वास्तव में कयिा गया हो, या उस अपराध को करने का प्रयास कयिा गया हो ।

### ■ सुरक्षा:

- [अनुच्छेद 22](#) गरिफ्तार या हरिसत में लयि गए व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करता है ।
  - दो प्रकार के हरिसत - पहला भाग सामान्य [कानूनी मामलों](#) से संबंधति है और दूसरा भाग [नविवारक नरिध के मामलों](#) से संबंधति

है।

- यह अनुच्छेद नविवारक नरिध कानूनों के लयि सलाहकार बोरुड के नरिमाण को अनविवार्य करता है, जसिमें **उचुच नुयायालय के नुयायाधीश** बनने के लयि योग्य वुक्त शिामलि होते हैं।
- वभिनिन कानूनों के तहत, समीकषा बोरुडों को **प्रतुयेक तीन माह** में हरिसत के आदेशों का आकलन करना चाहयि, ताकयिह नरिधारति कयिा जा सके कनिविवारक नरिध के लयि परयाप्त कारण हैं या नही। वे साकषुयों की जाँच करते हैं, यद आवश्यक हो तो अधकि जानकारी का अनुरोध करते हैं, हरिसत में लयि गए वुक्त की बात सुनते हैं और फरि रपिरुट करते हैं कहरिसत उचति थी या नही।
- **हरिसत में लयि गए वुक्त को उपलबुध सुरकषा उपाय:**
  - कसी वुक्त को केवल **3 माह** के लयि **नविवारक हरिसत** में लयिा जा सकता है।
    - **सलाहकार बोरुड** की सुवीकृत के बाद ही हरिसत की अवधकि को **3 माह** से अधकि के लयि बढाया जा सकता है।
  - बंदी को अपनी हरिसत के **कारणों को जानने का अधकिार** है।
    - हालाँकि, यद लोकहति में ऐसा करना आवश्यक हो तो राज्य आधार बताने से **इनकार** कर सकता है।
  - बंदी को उसकी हरिसत को **चुनौती** देने का अवसर प्रदान कयिा जाता है।
- **सापेकष नविवारक कानून:**
  - **लोकसुरकषा अधनियिम (PSA)**।
  - **सुवापक औषध और मन:प्रभावी पदार्थ अधनियिम (NDPS), 1985**।
  - **राष्टुरीय सुरकषा अधनियिम: NCRB** डेटा से पता चला है क **राष्टुरीय सुरकषा अधनियिम (NSA)** के तहत हरिसत में लयि गए लोगों की संखुया वरुष 2020 की तुलना में काफी कम हो गई है।
    - **NSA** के तहत नविवारक हरिसत की संखुया वरुष **2020** में **741** पर पहुँच गई। जबक वरुष **2021** में यह संखुया घटकर **483** हो गई।
- **नविवारक हरिसत से संबंधति मुदुदे:**
  - **लोकतंतर पर प्रश्नचहिन:** वरुश्व के कसी भी लोकतांतरकि देश ने नविवारक हरिसत को संवधिन का अभनिन अंग नही बनाया है जसा क भारत में कयिा गया है।
  - **अतरिकित नुयायकि प्राधकिरण:** सरकारें कभी-कभी ऐसे कानूनों का उपयुग अतरिकित नुयायकि अधकिार का प्रयुग करने के लयि करती हैं, जसिसे नविवारक हरिसत को लेकर चतिाएँ बढ जाती हैं।
  - **अनुय अधनियिमों का दुरुपयुग: गैर-कानूनी गतविधियिँ (रोकथाम) अधनियिम, 1967** जैसे कई कानून हैं जनिका दुरुपयुग नविवारक हरिसत के लयि कयिे जाने की संभावना है।
  - **सरकारी अधकिारयिँ द्वारा हेरफेर:** जलिा मजसिटरुट तथा पुलसि भी अकसर उभरती सांप्रदायकि झुडुपों या कनिही दो समुदायों के बीच हुई झुडुपों के दौरान कानून और वुववसुथा बनाए रखने के लयि संबंधति वुक्तयिँ को नयितरति करने के लयि उनुहें नविवारक हरिसत में लेते हैं, भले ही इससे हमेशा सारुवजनकि अवुववसुथा न हुई हो।

## नविवारक नरिध पर सरुवुचुच नुयायालय:

- **अमीना बेगम केस, 2023:** सरुवुचुच नुयायालय ने माना क नविवारक हरिसत **आपातकालीन सुथतियिँ के लयि एक असाधारण उपाय** है और इसे नयिमति रूप से इसुतेमाल नही कयिा जाना चाहयि।
  - नविवारक हरिसत का उदुदेशुय सजा देना नही है बलक **राजुय की सुरकषा के लयि हानकिारक कसी भी चीज को रोकना** है।
- **अंकुल चंदर प्रधान केस, 1997:** इस मामले में इस बात पर बल दयिा गया क नविवारक हरिसत का उदुदेशुय सजा देने के बजाय राज्य की सुरकषा को नुकसान से बचाना है।

## सारुवजनकि वुववसुथा एवं कानून वुववसुथा कया है?

- **परचिय:**
  - **सारुवजनकि वुववसुथा** का तातुपरुय समाज के भीतर शांति, सुथरिता और सद्भाव बनाए रखना है, यह सुनशुचिति करना क गतविधियिँ और वुववहार समुदाय की समग्र कलुयाण या सुरकषा को बाधति न करे।
  - **सारुवजनकि वुववसुथा भी सुवतंतर भाषण और अनुय मौलकि अधकिारों को प्रतबिंधति करने का एक आधार है।**
- **सारुवजनकि वुववसुथा बनाए रखने की शकत:**
  - **सूची I (संघ सूची) की प्रवषिटा 9** के तहत, भारत का संवधिन संसद को भारत की रकषा, वदिशी मामलों या सुरकषा से जुडे कारणों के लयि नविवारक हरिसत के लयि कानून बनाने की **वरुशेष शकत** प्रदान करता है।
  - **सूची III (समवरुती सूची) की प्रवषिटा 3** के तहत, संसद और राज्य वधिनमंडल दोनों के पास **सारुवजनकि वुववसुथा** के रखरखाव या समुदाय के लयि आवश्यक आपूरुत या सेवाओं के रखरखाव से संबंधति कारणों से ऐसे कानून बनाने की शकतयिँ हैं।
  - संवधिन की **सातवी अनुसूची** की **राजुय सूची (सूची 2)** के अनुसार, सारुवजनकि वुववसुथा के पहलुओं पर कानून बनाने की शकत राजुयों के पास है।
- **सारुवजनकि वुववसुथा और कानून एवं वुववसुथा के बीच अंतर:**
  - सरुवुचुच नुयायालय ने **'सारुवजनकि वुववसुथा'** और **'कानून और वुववसुथा'** के बीच अंतर कयिा।
  - **राम मनोहर लोहयिा बनाम बहिरा राजुय मामले, 1965** में, सरुवुचुच नुयायालय ने माना क **'कानून और वुववसुथा'** की समस्या केवल कुडु वुक्तयिँ को प्रभावति करती है, लेकनि **सारुवजनकि वुववसुथा** के मुदुदे ने समुदाय या जनता को बडे पैमाने पर या यहाँ तक क देश को

भी प्रभावति कयिा है ।

- 'कानून और व्यवस्था' और 'सार्वजनिक व्यवस्था' के बीच अंतर उनके दायरे की डगिरी एवं सीमा में नहिति है ।
- सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कयिा ककिसी व्यक्तकी गतविधियीं को "सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लयिे हानकारक कसिी भी तरीके से कार्य करने" की अभवियक्तकी अंतरगत लाने के लयिे गतविधियीं ऐसी प्रकृतकी होनी चाहयिे कसामान्य कानून उनसे नपिट न सकें या समाज को प्रभावति करने वाली वधिवंसक गतविधियीं को रोक न सकें ।

## आगे की राह

- संवधान के कामकाज की समीक्षा करने के लयिे राष्ट्रीय आयोग (NCRWC): नविरक नरिोध प्रावधानों की समीक्षा के बाद वर्ष 2002 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जसिमें दो सफिराशें दी गईं:
  - अनुच्छेद 22 के तहत हरिसत की अधिकतम अवधच्छिह महीने होनी चाहयिे ।
  - सलाहकार बोर्ड की संरचना में एक अधयक्ष और दो अन्य सदस्य शामिल होने चाहयिे जो उच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधीश हों ।
- सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टिकोण: जुलाई, 2022 में, तेलंगाना में एक चेन-सनैचर के लयिे जारी नविरक नरिोध आदेश को रद्द करते हुए, यह देखा गया ककिसी राज्य को दी गई ये शक्तयिीं "असाधारण" थीं और चूँकवे कसिी व्यक्तकी स्वतंत्रता को प्रभावति करते हैं, इसलयिे उनका उपयोग कम-से-कम कयिा जाना चाहयिे ।
  - न्यायालय ने यह भी कहा था ककिन शक्तयिीं का उपयोग सामान्य कानून और व्यवस्था की समस्याओं को नयितरति करने के लयिे नहीं कयिा जाना चाहयिे ।

### Drishti Mains Question

प्रश्न. सार्वजनिक व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने में नविरक नरिोध तथा इसकी प्रभावशीलता पर चर्चा कीजयिे ।

वधिकि अंतरदृष्टि: [नविरक नरिोध की वैधता](#)

<https://www.drishtijudiciary.com/hin>

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/preventive-detention-5>

